पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची-2022-23/प्रत्यावेदन// 4956 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: ०५ फरवरी, 2023

-::आदेश::-

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4257 दिनांक 29-12-2022 द्वारा पूर्व मनोरंजन कर विभाग के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में अलग अलग चयन वर्षो में सम्मिलित करते हुए दिनांक 30-06-2021 तक नवनियुक्त कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची-2022 जारी की गयी है। उक्त जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर चयन वर्ष 2001-02, 2002-03 व चयन वर्ष 2003-04 में चयन समिति के माध्यम से चयनित 129 कार्मिकों द्वारा निम्न प्रकार आपत्ति की गयी है :-

उनका चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बाहर समूह ग की भर्ती हेतु जिला चयन समिति के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा-2001 (सीधी भर्ती) में उत्तीर्ण होने के आधार पर वर्ष 2001 व 2003 में वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुआ था तथा उक्त नियुक्ति के आधार पर उन्हें दिनांक 29-12-2022 को जारी ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक आवंटित किया गया है।

उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-132/91-टी0सी0-का-1-1991 दिनांक 20-03-1991 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 प्रख्यापित की गयी है, जिसके भाग-2 ज्येष्ठता की अवधारणा नियम-5 में व्यवस्था दी गयी है :-

नियम-5- जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियॉ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी है:

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों से बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरुप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण- जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिये पृथक-पृथक चयन किये जाये तो नियमित भर्ती के लिये किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

उनके द्वारा कहा गया है कि शासनादेश में नियमित चयन का अर्थ सम्भवत: सीधी भर्ती से है तथा आपात चयन का अर्थ सम्भवत: मृतक आश्रित से है। दिनांक 29-12-2022 को जारी की गयी ज्येष्ठता सूची में उनके ज्येष्ठता क्रमांक से ऊपर कतिपय कार्मिकों का नाम अंकित है जिनका चयन मृतक आश्रित (आपात चयन) के रुप में किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत उनके द्वारा शासनादेश संख्या-132/91-टी0सी0-का-1-1991 दिनांक 20-03-1991 में दी गयी व्यवस्था कि पश्चातवर्ती चयन के परिणाम स्वरुप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरुप नियुक्त किये गये व्यक्ति से कनिष्ठ होगे, के आधार पर उनकी ज्येष्ठता संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाणिज्य कर विभाग के कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता के सन्दर्भ में पूर्व में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचारण उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता सूचियॉ निर्गत है। उक्त के दृष्टिगत पुन: प्रत्यावेदन पोषणीय नहीं है। अत: वाणिज्य कर विभाग में मृतक आश्रित के रुप में नियुक्त कार्मिकों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गये कार्मिकों से ज्येष्ठता सूची में नीचे अवस्थित करने हेतु वाणिज्य कर विभाग के 129 कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार किये जाते है।

(ओ0पी0वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक// उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उनके अधीनस्थ तैनात सम्बन्धित कर्मचारियों को तद्नुसार लिये गये निर्णय से अवगत कराने हेतु :-

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तरप्रदेश।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ।
3- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- पटल प्रभारी स्था-5(क)/ स्था-6 सामान्य, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय।

(वीरेन्द्र कुमार)
उपायुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।